www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 9 अक्टूबर 2019

दैनिक जागरण
अवसर कई बार चुनौती के रूप में भी दस्तक देता है

चीन की चाहत

चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के ठीक पहले चीन की ओर से यह कहा जाना उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद को कश्मीर मसले का समाधान आपसी बातचीत के जरिये करना चाहिए, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह वही चीन है जो कुछ समय पहले तक इस मामले में पाकिस्तान की भाषा बोल रहा था। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर चीन ने न केवल आपत्ति जताई, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसके लिए बाध्य किया कि वह इसका संज्ञान ले। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर मसले पर चीन की ओर से पाकिस्तान की जैसी खुली तरफदारी की गई उससे भारत में खटास ही पैदा हुई। यह कहना कठिन है कि चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा इस खटास को कम करने का काम कर सकेगी, क्योंकि चीन अपने प्रति जैसे व्यवहार की अपेक्षा रख रहा है वैसे व्यवहार का परिचय देने से इन्कार कर रहा है। वह अरुणाचल प्रदेश को लेकर अपनी निराधार आपत्तियों से तो भारत को परेशान करता ही है, इस सवाल का जवाब देने से भी इन्कार करता है कि आखिर उसकी ओर से गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान अधिकृत भारतीय भू-भाग में आर्थिक गलियारे का निर्माण किस हैसियत से कर रहा है?

चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ मसलों पर सहमति कायम हो सकती है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। जरूरत इस बात की है कि सहमति के इस दायरे को बढ़ाया जाए। इसी के साथ आपसी भरोसे की कमी को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की भी जरूरत है। भरोसे की इस कमी को दूर करने में एक बड़ी बाधा सीमा विवाद पर न के बराबर प्रगति होना है। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर बातचीत का सिलसिला जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचने के कारण यह लगने लगा है कि चीन इस विवाद के समाधान का इच्छुक ही नहीं। सच्चाई जो भी हो, चीन को यह समझना होगा कि भारतीय हितों की अनदेखी करके आपसी संबंधों को मजबूती नहीं दी जा सकती। यह सही है कि भारत और चीन के बीच असहमति वाले विभिन्न मसलों का समाधान रातोंरात नहीं हो सकता, लेकिन अगर बीजिंग इस्लामाबाद को भारत के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा तो फिर नई दिल्ली को दूसरे समीकरणों पर विचार करना ही होगा। चीन एशिया में अपनी ही चलाना चाहेगा तो मुश्किल होगी ही। यदि चीनी नेतृत्व सचमुच भारत से संबंधों में सुधार चाहता है तो उसे भारतीय हितों की अनदेखी करने वाले अपने रवैये का परित्याग करना ही होगा। उसे यह समझ आए तो बेहतर कि दोनों देश मिलकर साथ-साथ तरक्की कर सकते हैं।

कुम्हलाती उम्मीद

लंबे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आए उत्तराखंड में उम्मीद थी कि अपनों के राज में वे समस्याएं हल हो जाएंगी, जिनके लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश में एड़ियां रगड़नी पड़ती थीं। अलग प्रदेश के रूप में 19 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन ये उम्मीदें अब कुम्हलाने लगी हैं। इसका एक प्रमुख कारण है सिस्टम की संवेदनहीनता। आलम यह है कि जिस प्रदेश में नौकरशाही को लेकर सरकार के मंत्री तक परेशान हों, वहां आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी समझा जा सकता है। सरकार भाजपा की रही हो या कांग्रेस की, हर दौर में नौकरशाही के रवैये पर सवाल उठते रहे हैं। विधायक से लेकर मंत्री तक यह कहते सुने जा सकते हैं कि अफसर उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसा ही एक प्रकरण है सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन में संशोधन का। दरअसल जो लोग एक जनवरी 2016 से पहले रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन सातवें वेतनमान के अनुरूप संशोधित होनी है। प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या करीब एक लाख है। इनको एक जनवरी 2016 से बढ़ी हुई पेंशन मिलनी है। इसके तहत नवंबर 2018 से संशोधित पेंशन का एरियर दिया जाना है। हालत यह है कि एरियर की छोड़िए, अभी 35 फीसद कार्मिकों की पेंशन सातवें वेतनमान के अनुसार संशोधित तक नहीं की जा सकी है। इनमें से कई लोग उम्र के अंतिम पायदान पर पहुंच चुके हैं और बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में भी असमर्थ हैं। अब जरा सिस्टम की बात करते हैं। आलम यह है कि इस मामले की जिम्मेदारी न तो संबंधित विभाग ही लेने को तैयार हैं और न ही कोषागार कार्यालय। इन बुजुर्गों का कहना है कि जब वे अपने उस विभाग में जाते हैं, जहां उन्होंने सेवा में अपनी जिंदगी के बहुमूल्य वर्ष बिताए, वहां से उन्हें जवाब मिलता है कि फाइल कोषागार को भेज दी गई है। वहीं कोषागार में कहा जा रहा है कि अपने विभाग से संपर्क करो। यह हाल तब है जबकि पेंशन संशोधन के संबंध में जारी शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख कि पेंशन पुनरीक्षण की कार्रवाई के लिए पेंशनरों से किसी प्रकार संपर्क नहीं किया जाएगा। यानी उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। साफ है कि अफसरों को शासनादेश की भी परवाह नहीं है। सवाल यह भी है कि कर्मचारी संगठन तो सरकार और शासन पर दबाव बनाकर अपनी मांगें मनवा ही लेते हैं, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिस्टम की खामियों का दंश रिटायर्ड कर्मचारियों को क्यों झेलना पड़ रहा है?

आर्थिक सुस्ती तोड़ने का सही उपाय

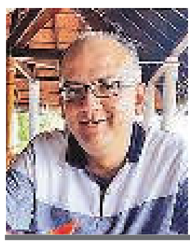

विवेक कौल

अगर सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर में कटौती के बजाय व्यक्तिगत आयकर में कटौती की होती तो बचत सीधे उपभोक्ता के हाथ में आती और अर्थव्यवस्था को ज्यादा लाभ मिलता

अब यह मानने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि देश आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने पिछले महीने कहा था कि निवेश आर्थिक विकास और उपभोग का प्रमुख संचालक है। यहां तर्क सीधा है। निवेश से रोजगार सृजित होते हैं। ये नौकरियां लोगों को आय प्रदान करती हैं। लोग इस पैसे को खर्च करते हैं और यह उपभोग को बढ़ावा देता है। इससे अन्य लोगों को भी आय अर्जित करने में मदद मिलती है। ये लोग भी पैसा खर्च करके खपत के लिए एक और विकल्प प्रदान करते हैं। इस तरह से यह पूरा चक्र काम करते हुए आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। समस्या यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत कम निवेश हो रहा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डाटा बताता है कि अप्रैल से जून 2019 की अवधि के दौरान घोषित नई परियोजनाओं का स्तर 15 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया। अगर जुलाई से सितंबर 2019 के बीच के आंकड़ों पर गौर करें तो स्थिति में थोड़ा सा सुधार तो जरूर हुआ है, लेकिन यह न के बराबर यानी नाकाफी ही कहा जाएगा।

वर्ष 2007-2008 में 35.8 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद, पिछले चार वर्षों से निवेश एवं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात (निवेश-जीडीपी अनुपात) 28-29 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। निवेश में ऐसी सुस्ती को देखते हुए आय पहले की तरह नहीं बढ़ रही है। यदि हम 2004 और 2014 के बीच प्रति व्यक्ति आय देखें तो यह प्रत्येक वर्ष में दो अंकों में बढ़ी थी। वर्ष 2016-2017 को छोड़कर इसकी वृद्धि एकल अंक में सिमट गई है। इस दौरान केवल 2016-2017 में ही प्रति व्यक्ति आय 10.2 प्रतिशत बढ़ी थी। यदि हम पुरुषों के लिए ग्रामीण मजदूरी के बढ़ने की दर को देखें तो यह 2008-2009 और 2014-2015 के बीच बड़े पैमाने पर उछली थी। 2013-2014 में मजदूरी दर में तकरीबन 28 फीसद तेजी आई। तब से इसमें बढ़ोतरी एकल अंक में रह गई है। वर्ष 2018-19 में यह केवल 3.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह दर केवल निवेश की कमी से ही नहीं गिरी है। जब महिला श्रमिकों की बात आती है तो 2008-2009 और 2014-2015 के बीच ग्रामीण मजदूरी में भारी वृद्धि हुई। 2013-2014 में मजदूरी 25.3 प्रतिशत बढ़ी थी। तब से 2018-2019 के दौरान मजदूरी दर में बढ़ोतरी एकल अंक में हुई है। वर्ष 2018-2019 में मजदूरी में वृद्धि महज छह प्रतिशत रही थी। यह कम खाद्य मुद्रास्फीति का दूसरा पक्ष है। आखिर इस स्थिति से बाहर निकलने का क्या तरीका है?

इसमें संदेह नहीं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक निवेश की आवश्यकता है, मगर समस्या यह है कारोबारी तभी निवेश करते हैं जब उन्हें मुनाफे की उम्मीद दिखती है। फिलहाल पस्त पड़ी उपभोक्ता मांग के चलते कारोबारियों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इसके अलावा भारतीय कारोबारी अभी भी अपनी मौजूदा उत्पादन क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस परिदृश्य में उनके निवेश और विस्तार करने की संभावना कम है। कई कारोबारी कर्ज चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए और अधिक कर्ज लेकर निवेश और विस्तार करना फिलहाल उनके बस की बात नहीं दिखती। निवेश को प्रोत्साहित करना जरूरी है, मगर हाल-फिलहाल यह अधिक महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता मांग को कैसे पटरी पर लाया जाए? जब तक उपभोक्ता मांग में वृद्धि नहीं होगी तब तक अधिकांश निजी कंपनियां निवेश करने से हिचकती रहेंगी। इसलिए अगर सरकार ने कॉरपोरेट कर की दर में कटौती के बजाय व्यक्तिगत आयकर में कटौती की होती तो जरूर कुछ बात बनती।

अवधेश राजपूत

कॉरपोरेट करों में कटौती के समर्थन में एक तर्क यह दिया गया कि उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कीमतों में कटौती करेंगी। चलिए इस विकल्प की तुलना व्यक्तिगत आयकर में कटौती के विकल्प से करते हैं। यदि व्यक्तिगत आयकर में कटौती होती तो बचत सीधे उपभोक्ता के हाथों में जाती और फिर वे यह तय कर सकते कि इसके साथ क्या करना है? मसलन इसे खर्च करना है या बचाना है? कॉरपोरेट कर कटौती के मामले में यह तय नहीं है कि कंपनियां अपने सामान या सेवाओं की कीमत में कटौती करेंगी या नहीं? चूंकि उपभोक्ता अपने खर्च का निर्णय करने के लिए कंपनियों के अगले कदम पर निर्भर हैं, इसलिए यह देखना होगा कि उपभोक्ता खर्च बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प बेहतर है।

निःसंदेह वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का सरलीकरण भी उपभोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे खासतौर से छोटे कारोबारियों को भी बहुत मदद मिलेगी। यह भी मशविरा दिया जा रहा है कि सरकार को ही अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में फिलहाल यह सलाह कैसे लागू हो सकती है, इस पर भी गौर करते हैं। 2017-2018 और 2018-2019 में कुल सरकारी व्यय क्रमशः 15 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत रहा। यह आंकड़ा मुद्रास्फीति समायोजन के साथ है। इसी अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रमशः 7.2 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ी। यदि हम अप्रैल और जून 2019 के बीच देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई, निजी उपभोग व्यय में केवल 3.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सरकारी व्यय में 8.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी व्यय ने ही विकास को गति दी है यानी आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार पहले ही बहुत पैसा खर्च कर रही है।

अगर सरकार और भी ज्यादा खर्च करती है तो उसे और अधिक उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि कर संग्रह के मोर्चे पर तस्वीर बहुत अच्छी नहीं लग रही है। अप्रैल और अगस्त 2019 के बीच सकल कर राजस्व में केवल 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने बजट में जितने खर्च के लिए प्रावधान किया है उसकी पूर्ति के लिए राजस्व में 18.3 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। अगर सरकार ज्यादा उधार लेगी तो ब्याज दरें भी ऊपर जा सकती हैं। यहां एक तरीका यह हो सकता है कि सरकारी कंपनियों और उनकी जमीनों को तेजी से बेचा जाए और उस पैसे को राष्ट्रीय निवेश कोष में डाला जाए। फिर इसका उपयोग बुनियादी ढांचे के विस्तार में लगाया जाए। यह सब कहना आसान है, लेकिन इसे मूर्त रूप देना उतना ही मुश्किल। सरकारी कंपनियों के जल्द विनिवेश का अर्थ यथास्थिति को बदलना होगा और इतिहास गवाह है कि सरकारें ऐसा करने से बचती रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी का पहिया इसी गड्ढे में अटका हुआ है। इससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा।

(स्तंभकार अर्थशास्त्री एवं इजी मनी ट्राइलॉजी के लेखक हैं)

response@jagran.com

कृषि संकट के कारण समझें किसान

एक अर्से से फसलों को प्राकृतिक आपदा से बचाने, कृषि लागत घटाकर अधिक उत्पादन करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने की बातें हो रही है। इसी क्रम में किसानों को खेती के साथ पशुपालन एवं अन्य स्वरोजगार की सलाह भी दी जा रही है। इस दिशा में सरकारी प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि खेती की समस्या का निदान किसानों के खेत में ही है। समय आ गया है कि किसान जलवायु विविधिता पर ध्यान दें और पानी की उपलब्धता एवं उसके बचाव को ध्यान में रखकर खेती करें। भारत की जलवायु में जैसी विविधिता है वैसी दुनिया के कुछ ही हिस्सों में देखने को मिलती है। यहां सर्दी, गर्मी और बरसात में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह की फसलें होती हैं। बुंदेलखंड जैसे इलाकों को छोड़कर पूरे देश में भू-गर्भ जल स्तर अच्छा है। जहां जमीन ऊंची-नीची है वहां खेतों को समतल करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करके 25 फीसद पानी बचाया जा सकता है। देश के जिन इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है वहां अधिक पानी की मांग करने वाली फसलें उगाना बंद करने की जरूरत है। हरित क्रांति में अग्रणी रहे पंजाब और हरियाणा के किसान लंबे समय से धान की खेती कर रहे हैं। धान को पानी की अधिक जरूरत होती है। अब पंजाब में पानी की कमी होने लगी है। इसलिए पंजाब के किसानों को चाहिए कि वे धान के बजाय मक्का, सोयाबीन उगाएं और बागवानी में पपीता और सब्जी उत्पादन करें। इससे पानी की भी बचत होगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी।

धान के बाद गन्ने की फसल को पानी की सबसे अधिक जरूरत होती है। पश्चिमी यूपी के किसानों को चाहिए कि वे गन्ने के बजाय फलों और सब्जियों का उत्पादन करें। वे केला, संतरा, किन्नू, आम, अमरूद, तरबूज आदि की भी खेती कर सकते हैं। गन्ने की फसल में भुगतान मिलों में अटक जाता है, मगर केला, टमाटर, आलू सहित अन्य सब्जी एवं बागवानी की फसलों में तुरंत भुगतान मिलता है। सब्जी एवं बागवानी फसलें एक एकड़ में डेढ़ से दो लाख रुपये तक आमदनी कराती हैं। उत्तर भारत के अनेक इलाकों में केले की खेती की जा रही है, फिर भी यहां केले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात से आ रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में जलस्तर करीब तीन से चार सौ फिट नीचे है। महाराष्ट्र के जलगांव, सोलापुर एवं नासिक और आंध्र प्रदेश के पुलवेंद्रा, कड़पा, बंग्लौर एवं अनंतपुर से केले के साथ टमाटर की

रामसरन वर्मा

कम पानी वाले इलाकों में यह जरूरी है कि अधिक पानी की मांग करने वाली फसलों से बचा जाए

खेती की जा रही है। बेहतर होगा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के किसान केले की खेती कम करके अनार, पपीता, तरबूज, अंगूर आदि की फसलों का रकबा बढ़ाएं।

खेती में पानी की उपलब्धता के साथ तापमान के स्तर पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। बागवानी एवं सब्जी की फसलों के लिए 10 से 40 डिग्री तापमान बेहतर होता है। बिहार में सब्जी और फल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है। इसीलिए यहां केला और लीची का उत्पादन होता है। बंगाल की जलवायु भी सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त है। बंगाल के किसान मक्का और दलहनी फसलों की खेती को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश में भी पानी कम है इसलिए वहां के किसान मक्का, कपास, अनार, अंगूर और दलहनी फसलों की खेती कर पानी की समस्या से निजात पा सकते हैं।

किसानों के लिए यह भी जरूरी हो गया है कि वे बदल-बदल कर फसलें उगाएं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और फसलों का उत्पादन भी। यदि किसी किसान के पास चार एकड़ जमीन है तो वह एक एकड़ में गेहूं एवं धान, एक एकड़ में बागवानी की फसल एवं एक एकड़ में सब्जी की खेती करे और शेष एक एकड़ में पशुओं के चारे वाली फसलें उगाए। धान एवं गेहूं से एक एकड़ में 35 हजार, बागवानी से एक लाख, सब्जी की खेती से 80 हजार रुपये तक की आमदनी हो सकती है। पशुपालन करने पर दूध के साथ ही खेत के लिए गोबर की खाद भी मिलेगी। गोबर की खाद से 20 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ जाएगा। इससे न सिर्फ रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी, बल्कि किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी।

बड़े किसान एक से दो एकड़ में जंगल भी लगा सकते हैं। जंगल से आशय इमारती लकड़ी के पौधे लगाने से है। इससे पर्यावरण संरक्षण होगा और हर 15-20 साल में एकमुश्त मोटी रकम भी मिलती रहेगी। फल एवं सब्जी की खेती से गांव में रोजगार देकर पलायन रोका जा सकता है। टमाटर, सेब, केला, अंगूर की खेती में गांवों के खेतिहर मजूदरों को भरपूर काम मिलता है। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना एक अच्छी योजना है। यदि किसान इसका उपयोग कृषि बागवानी एवं पशुपालन में करें तो बेहतर। छह हजार रुपये में एक किसान एक एकड़ के आठवें भाग में सब्जी की खेती कर सकता है। इससे वह कम से कम 20 हजार रुपये की सब्जी का उत्पादन कर सकता है। यदि वह छह हजार रुपये की बकरी एवं मुर्गी खरीदता है तो एक साल बाद 10 से 15 हजार रुपये तक लाभ कमा सकता है। यह उसके लिए स्वरोजगार का जरिया भी हो जाएगा।

चूंकि खेती में पानी बचाने की चुनौती है इसलिए किसानों को चाहिए कि यदि ऊंची-नीची जमीन समतल न हो सके तो फौव्वारे एवं ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें। वर्षा के औसत को देखकर ही फसलों का चुनाव किया जाना चाहिए। जिनके पास ज्यादा जमीन है वे किसान खेत में तालाब खोदकर भूगर्भ जल स्तर बढ़ाने के साथ ही मछली पालन कर अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। मक्का की फसल पानी बचाने का बेहतर विकल्प है। यह फसल कम पानी एवं कम समय में तैयार होती है। आजकल तो इसका उपयोग पौष्टिक आहार के रूप में भी हो रहा है। दुनिया भर में मक्का की मांग है, क्योंकि मछली एवं मुर्गी का दाना और पशुआहार मक्का से ही बनाए जाते हैं। अमेरिका और चीन में मक्का सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। धान की फसल बोने वाले किसान मक्का उगाकर अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ ही भू-गर्भ जलस्तर को और गिरने से बचा सकते हैं।

(लेखक उन्नत खेती के लिए पद्मश्री से सम्मानित कृषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मंजिल की पहचान

हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग का संघर्ष पाठकों को जीवन में लाख मुसीबतों के बावजूद सफलता की राह पर डटे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्या आप जानते हैं कि प्रायः 73 भाषाओं में अनूदित होने वाली विश्वप्रसिद्ध पुस्तक हैरी पॉटर को प्रिंट रूप में देखने के लिए उनको 12 प्रकाशकों द्वारा अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था? अंततः लंदन के एक पब्लिशिंग हाउस द्वारा यह प्रकाशित हुई और 20 अरब डॉलर से भी अधिक राशि की कमाई की।

रॉलिंग का यह कथन काफी प्रेरणादायी है, 'मैं जो नहीं हूं वैसा होना सोचना बंद कर दिया और खुद में विश्वास करना शुरू कर दिया। मैंने केवल अपने जीवन के उन कार्यों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर दिया है जो मेरे लिए मायने रखते हैं।' परंतु दुर्भाग्यवश हम खुद को पहचान ही नहीं पाते हैं और यह भी नहीं जान पाते हैं कि हमें जाना कहां है। बिना मंजिल के इल्म के ताउम्र सफर पर चलते रहने में जीवन की कामयाबी की तलाश महज एक मृगमरीचिका है। कहते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी यात्रा की शुरुआत पहले कदम से होती है, लेकिन उस पहले कदम को रखने के पूर्व अपने गंतव्य को जानना सबसे अहम होता है। इसके अभाव में तमाम जिंदगी सफर में गुजर जाती है, पर मंजिल नहीं मिल पाती है, किंतु सफल होने की कहानी का यही अंतिम पड़ाव नहीं है।

इस सत्य से इन्कार करना आसान नहीं है कि खुद की प्रतिभा को पहचानना जीवन में देखे गए सपनों को साकार करने की दिशा में आधारशिला के निर्माण सरीखा होता है, किंतु महज इससे ही सफलता के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुआ जा सकता है। इसके लिए कड़ी मेहनत और लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की सख्त दरकार होती है। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जीवन में सफलता एक प्रतिशत प्रेरणा और 99 प्रतिशत पसीने का नतीजा है। अपने जीवन में देखे गए सपनों के साथ जीना-मरना, सोना और जागना सीख लेने वाला शख्स ही बेशुमार उपलब्धियों और सफलता का इतिहास रच पाता है।

श्रीप्रकाश शर्मा

संचार क्रांति के दौर में सिमटतीं चिट्ठियां

देवेंद्रराज सुथार

डाक का चलन कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है

दुनियाभर में नौ अक्टूबर को डाक सेवाओं की उपयोगिता और संभावनाओं को देखते हुए वैश्विक डाक संघ की ओर से विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों को डाक विभाग के बारे में जानकारी देना है, उन्हें जागरूक करना और डाकघरों के बीच तालमेल बनाना है। आज डाक की उपयोगिता केवल चिट्ठियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके जरिये बैंकिंग, बीमा और निवेश जैसी जरूरी सेवाएं भी आम आदमी को मिल रही हैं। भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सदस्यता लेने वाला प्रथम एशियाई देश था।

भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना एक अक्टूबर, 1854 को लार्ड डलहौजी के काल में हुई। भारतीय डाक सेवा पिछले 165 साल से हिंदुस्तान को दुनियाभर से जोड़े हुए है। एक जुलाई, 1876 को भारत वैश्विक डाक संघ का सदस्य बना। भारत में 1766 में लार्ड क्लाइव ने पहली बार डाक व्यवस्था शुरू की थी। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने तब के कलकत्ता में प्रथम डाकघर स्थापित किया था। चिट्ठियों को पोस्ट करते समय उन पर लगाए जाने वाले स्टैंप्स की शुरुआत भी वर्ष 1852 में हुई थी। भारत में वर्तमान डाक पिनकोड नंबर की शुरुआत 15 अगस्त, 1972 को हुई थी। इसके बाद हर गांव और शहर में पोस्ट ऑफिस बनाए गए। बाद में पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियों को संभालने के साथ-साथ लोगों के पैसों को जमा करने का काम भी किया जाने लगा। यानी अपनों की चिट्ठियों का अहसास कम हुआ तो डाक विभाग ने लोगों से जुड़ने के लिए कई सुविधाएं ग्राहकों को देनी शुरू कर दी। वह डाकिया जिसका इंतजार कभी महीनों तक हुआ करता था, आज भी वह डाकिया उतनी ही मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। लेकिन आज उसको देखकर खुशी से झूमने वाले कई गुम हो गए हैं।

बदलते दौर में तकनीक के विकास के कारण अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपना निजी और महत्वपूर्ण संदेश डाक के माध्यम से पहुंचाना चाहेगा। इसलिए डाक के माध्यम से बधाई, शुभ-कामनाएं पहुंचाने एवं सगे-संबंधियों के हालचाल जानने के लिए लिखी जाने वाली व्यक्तिगत चिट्ठियों का चलन बंद हो गया है। जब मोबाइल से कुछ ही सेकेंड में अपने परिजनों का हाल पता किया जा सकता है तो भला कौन हफ्तों का इंतजार करना चाहेगा। हालांकि भले डाक के माध्यम से निजी पत्रों को भेजने की रुचि कम हुई हो, लेकिन अब भी डाक विभाग पर काम का बोझ कम नहीं हुआ है। रोजाना डाकघरों में सरकारी एवं निजी संस्थाओं की भारी संख्या में डाक पहुंचती है।

निःसंदेह बदलाव सृष्टि का नियम है। नई चीजें आती हैं और पुरानी चीजें चलन से बाहर हो जाती हैं। डाक का चलन कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। आवश्यकता है कि डाक विभाग समय-समय पर कुछ सुधारवादी कदम उठाकर अपनी व्यवस्था में फेरबदल करता रहे जिससे कि डाक के प्रति लोगों में विश्वास बना रहे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

मर्यादित जीवन का संदेश

परिचय दास ने अपने लेख 'विजयादशमी का विजय-पाठ' के जरिये रामायण और श्रीरामचरितमानस में समाहित कथ्य को मानव-मन के उस संघर्ष से जोड़ा है जो सत्य-असत्य के बीच सतत संघर्षशील रहता है। वस्तुतः श्रीराम का चरित्र जितना वैविध्यपूर्ण है उतना ही विरोधाभासी भी, लेकिन श्रीराम के पावन चरित्र का यह विरोधाभास सात्विकी है। श्रीराम एक भाई का वध करते हैं तो दूसरे को गले लगाते हैं। जिस सीता के लिए रावण जैसी महाशक्ति से टकराते हैं, राजधर्म के लिए उसी का परित्याग कर देते हैं। माता कैकेयी के कपट से अवगत होते हुए भी उनकी इच्छानुरूप चौदह वर्ष का वनवास सहर्ष स्वीकार लेते हैं। श्रीराम के जीवन का यह विरोधाभास मनुष्य जीवन के लिए तब भी संदेशप्रद था और आज भी प्रासंगिक है। यदि मनुष्य अपने जीवन के विरोधाभास को सात्विक बनाकर श्रीराम जैसा आचरण करने लगे तो वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता है। त्रेता के श्रीराम और द्वापर के श्रीकृष्ण प्रतीक थे मनुष्य जीवन की उस कर्ममयी मर्यादा के जिसमें विरोधाभास तो हैं, लेकिन उनकी प्रकृति सात्विकी है। हर युग में मानवता की रक्षा के लिए रावण, कंस और दुर्योधन जैसी अन्यायी और अहंकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु कोई न कोई राम और कृष्ण बनकर अवतरित होता रहा है। सत्य और असत्य के विरुद्ध यह संघर्ष आज भी जारी है। बाह्य जगत में अमानवीय शक्तियों के साथ और मनुष्य के अंतर्मन में अनियंत्रित इच्छाओं और वासनाओं के साथ। मनुष्य जीवन के अंदर और बाहर के इस संघर्ष में विजयादशमी का विजय-पर्व उस संकल्प शक्ति को जागृत करने वाला है, जिसके लिए श्रीराम ने भी शक्ति की आराधना की थी। श्रीकृष्ण का कर्मयोग और श्रीराम की मर्यादा मनुष्य जीवन को संतुलित बनाती हैं। मर्यादित कर्म जहां जीवन को सुवासित कर दूसरों के लिए सुखदायी बन जाता है वहीं अन्यायी और अनाचारी प्रवृत्तियां अपनी अमानवीयता से दूसरों को दुख देने में आनंद का अनुभव करती हैं। अब मनुष्य जीवन के लिए क्या सार्थक है, यही विजयादशमी का विचारणीय पाठ है।

pandeyvp1960@gmail.com

अच्छाई की होगी जीत

जीवन की अहमियत समझनी हो तो रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और मंदिर-मस्जिद के आसपास भीख मांगते छोटे नौनिहालों को देख सकते हैं। जिन हाथों में स्कूल बैग होने चाहिए उन हाथों में वे भीख का कटोरा लिए घूमते दिख जाएंगे। लाखों की संख्या में ये बच्चे भुखमरी, बीमारी, लाचारी व लोगों की कुदृष्टि का शिकार होते रहते हैं। अनगिनत लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती हैं। कौन जिम्मेदार है उनके इस हालात का। क्या सरकार उनके लिए कोई काम नहीं करती। क्या हम सब इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? यक्ष प्रश्न यह है कि कैसे इन्हें इस हालात से बाहर निकाला जाए! समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि इस भीख के धंधे को हतोत्साहित करे। कोई न कोई इसका भी ठेकेदार होगा। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भीख में इन्हें पैसे देने के बजाय इनकी समस्याओं का समाधान करें। हम इन्हें भोजन दें। इनको शिक्षा का अधिकार दिलाएं। इनको इस हालात से मुक्त कराने का प्रयास करें। भीख मांगना अब मजबूरी नहीं, बल्कि एक व्यवसाय बन चुका है। इसे हम सबको मिलकर बंद कराना होगा। यदि इस व्यवसाय को समाप्त किया जाता है तो अच्छाई की एक जीत यह भी होगी।

अर्पित शुक्ला, नई दिल्ली

रावण जलता क्यों नहीं?

हम हर साल बुराई के प्रतीक हजारों रावण को जलाकर अच्छाई की जीत का जश्न दशहरा खूब धूमधाम से मनाते हैं तो फिर अगले साल ये रावण क्यों और कहां से पैदा हो जाते हैं? यक्ष सवाल बना हुआ है। आखिर इन्हें हर साल फिर से जलाने की जरूरत क्यों आ पड़ती है। हजारों सालों से बुराई का प्रतीक रावण जलकर नष्ट क्यों नहीं होता? बुराई रूपी लाखों रावण अच्छाई से भी बड़े क्यों हो जाते हैं? इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए। हर साल ये व्यर्थ के रावण जलाने से हमारा कुछ भी भला नहीं हो सकता। जब तक समाज का हर एक व्यक्ति इस बारे में विचार नहीं करेगा, जब तक हम अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र और ईमानदार नहीं होंगे तब तक समाज से रावण रूपी बुराई का संहार संभव नहीं है।

निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।